राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

पत्रांकः एफ 5(2) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2016/4978-90 जयपुर,दिनांक 10.5.16

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
बाड़मेर।

विषयः– अभाव संवत् 2072 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार अभावग्रस्त ग्रामों में पशु शिविर संचालन के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– आपका पत्रांकः प. 35(71) (1) आ.प्र. एवं सहा./2016/2697 दिनांक 01.5.2016 के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1(1)(4) आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/2015/14226–66 दिनांक 19.12.2015 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 15.07.2016 तक प्रभावी रहेगी। अभाव संवत् 2072 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में पशु शिविर संचालन करने हेतु भारत सरकार के पत्रांक 32–7/2014 दिनांक 08.04.2015 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के संशोधित मानदण्डो के अनुसार दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप असहाय/ आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर संचालन करने के लिये राहत सहायता की स्वीकृति सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी करने हेतु जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया जाता है।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेः–

1. जिला कलेक्टर विभागीय दिशा–निर्देश जारी होने की दिनांक से 23.6.2016 तक एस.डी.आर. एफ. नॉर्म्स के अनुसार पशु शिविर संचालन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त करें। इसके पश्चात् कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावे।
2. जिले के अभावग्रस्त ग्रामों से सम्बन्धित तहसीलों में आवश्यकतानुसार किन्तु अधिकतम 5 पशु शिविर प्रति तहसील के संचालन हेतु ही स्वीकृति जारी की जावे। इन पशु शिविरों के संचालन हेतु स्थानों का निर्धारण उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार किया जावे। जिन पंचायतों में पंजीकृत गौशाला है उन पंचायतों में पशु शिविरों की स्वीकृति जारी नहीं की जावे।
3. सम्बन्धित तहसीलदार उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित स्थानों पर पशु शिविरों के प्रस्ताव उक्तानुसार प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर पशु संख्या का प्रमाणीकरण एवं आवेदन–पत्र की जांच कर अपनी अनुशंषा सहित जिला कलेक्टर को प्रेषित करें। **यदि तहसीलदार पशु शिविर संचालकों के आवेदन की तहसील में प्राप्ति तिथि से एक सप्ताह के भीतर जांच कर प्रस्ताव का निस्तारण/जिला कलेक्टर को प्रेषित नहीं करता है तो जिला कलेक्टर विलम्ब के लिए तहसीलदार की जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से विभाग को सूचित करेंगे।**
4. **राज्य कार्यकारी समिति के निर्णयानुसार जिला कलेक्टर तहसीलदारों से प्राप्त प्रस्तावों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रविष्टि कर प्रस्ताव प्राप्ति दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित पशु शिविर संचालकों को 90 दिवस या अभाव अवधि की अंतिम तिथि 15.7.2016 जो भी पहले हो तक, की अवधि के लिए तहसीलदार द्वारा प्रमाणित पशु संख्या के अनुसार इन दिशा–निर्देशों के जारी होने के पश्चात् से राहत सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे।**